

क्रमांक: पं.08 (01)/आर.एन.सी./जी.बी. मीटिंग/2026/1085-89 दिनांक 30-1-2026
कार्यालय आदेश

कौंसिल की जी.बी. की बैठक दिनांक 23.12.2025 के एजेन्डा संख्या 8 के अनुसार वर्ष 2005 से पूर्व के ऐसे प्रकरणों में जहां अभ्यर्थी द्वारा जीएनएम उत्तीर्ण किये जाने के पश्चात कौंसिल में रजिस्ट्रेशन कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया था, के द्वारा मिडवाईफ पृथक से किये जाने तथा इस हेतु रजिस्ट्रेशन/प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किये जाने पर ऐसे प्रकरणों में निर्धारित फीस @ 1200/- GST रुपये प्रति अभ्यर्थी से शुल्क लिया जाकर उसे मिडवाईफ का पृथक से प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाना है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(जोईस कुरियन)

रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर

क्रमांक: पं.08 (01)/आर.एन.सी./जी.बी. मीटिंग/2026/1085-89 दिनांक 30-1-2026
प्रतिलिपी :-

1. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, (ग्रुप-3), जयपुर।
2. श्रीमान निदेशक महोदय (जन. स्वा.) एवं पदेन अध्यक्ष, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. लेखा अनुभाग को सूचनार्थ।
4. आई.टी. सलाहकार (अनुबन्ध) को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को पोर्टल पर अपलोड करे।
5. कार्यालय प्रति।


रजिस्ट्रार

राजस्थान नर्सिंग कौंसिल

जयपुर